



लक्षद्वीप का राजपत्र The Lakshadweep Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY
EXTRAORDINARY

VOL. LXI No.21 THURSDAY 07th AUGUST, 2025/ 16th SRAVANA, 1947 (SAKA)

To be published in an Extraordinary Issue
of Gazette of India, Part II Section 3(iii)
dated 07th August, 2025.

To be republished in an extraordinary Issue of
State Gazette on the same date.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated: 07th August, 2025

Sravana 16, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/Programme/2025:- Whereas, a vacancy in the office of the Vice-President of India has occurred by reason of resignation of Sh. Jagdeep Dhankhar on 21st July, 2025; and

Whereas, under clause (2) of Article 68 of the Constitution of India, an election to fill the said vacancy is required to be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy; and

Whereas, under sub-section 4 of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to appoint the dates for the election to fill the office of the Vice President of India;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the said vacancy in the office of the Vice-President of India, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

- (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -
- the 21st August, 2025 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - the 22nd August, 2025 (Friday), as the date for scrutiny of the nominations;
 - the 25th August, 2025 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
 - the 09th September (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken

By Order,



(SUMAN KUMAR DAS)
SECRETARY

To be published in an Extraordinary Issue
of Gazette of India, Part II Section 3(iii)
dated 07th August, 2025.

To be republished in an extraordinary Issue of
State Gazette on the same date.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvaachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated: 07th August, 2025

Sravana 16, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

480/P.O.P/2025:- In pursuance of Rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby:

- fixes Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-Presidential Election to be held in accordance with its Notification No.480/Programme/2025, dated the 07th August, 2025; and
- specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the said place of polling.

By Order,



(SUMAN KUMAR DAS)
SECRETARY

**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR
VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2025**

**PUBLIC NOTICE
OF
ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA**

TO BE PUBLISHED
IN THE
EXTRAORDINARY
ISSUE OF THE
GAZETTE OF INDIA,
PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION (iii)
DATED
THE 7TH OF AUGUST,
2025

WHEREAS a notification under sub-section (1) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, P.C. MODY, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. RS-28, First Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Ms. Garima Jain, Joint Secretary/Shri Vijay Kumar, Director, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11 a.m. and 3 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than Thursday, the 21st August, 2025;

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of Rupees Fifteen Thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;


(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the time aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of Section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. F-100, Sangoshthi-2, First Floor, Parliament House, New Delhi, on Friday, the 22nd August, 2025 at 11 a.m.;

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of Monday, the 25th August, 2025;

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Tuesday, the 9th September, 2025 between the hours of 10 a.m. and 5 p.m. at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi,
Dated the 7th of August, 2025


(P.C. MODY)
RETURNING OFFICER FOR THE
VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2025
AND
SECRETARY-GENERAL, RAJYA SABHA

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग II खंड
3(iii) में दिनांक 07 अगस्त, 2025 को प्रकाशनार्थ।
राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में उसी तिथि को
पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 07 अगस्त, 2025

श्रावण 16, 1947(शक)

अधिसूचना

सं. 480/कार्यक्रम/2025:- यतः, श्री जगदीप धनखड द्वारा 21 जुलाई, 2025 को त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है; और

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड (2) के अंतर्गत, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख नियत की जानी अपेक्षित है;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 25 अगस्त, 2025 (सोमवार); और
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा - 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)

आदेश से.

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग II खंड
3(iii) में दिनांक 07 अगस्त, 2025 को प्रकाशनार्थ।
राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में उसी तिथि को
पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 07 अगस्त, 2025

श्रावण 16, 1947(शक)

अधिसूचना

480/पी.ओ.पी/2025:- राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:

- (क) अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2025 की अधिसूचना सं. 480/कार्यक्रम/2025 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं. एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और
- (ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)

सचिव

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक सूचना

भारत के राजपत्र के
असाधारण अंक, भाग
II, खंड 3, उप-खंड (iii)
में दिनांक 7 अगस्त,
2025 को प्रकाशनार्थ

यतः, भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, मैं, पी.सी. मोदी एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि—

(i) अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा संख्या आरएस 28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी, सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव/श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश-दिन से भिन्न) मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 बजे के बीच, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 तक परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी केवल पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चातकथित दशा में ऐसी रसीद का,

जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;


(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उक्त कार्यालय, कमरा संख्या एफ—100, संगोष्ठी—2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में, मतदान इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 10 बजे और मध्याह्न पश्चात् 5 बजे के बीच होगा।

नई दिल्ली,
7 अगस्त, 2025


(पी.सी. मोदी)
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025
के लिए निर्वाचन अधिकारी
और
महासचिव, राज्य सभा